Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 15: Value of taxable supply

- (1) The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply.
- (2) The value of supply shall include
 - (a) any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the State Goods and Services Tax Act, the Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier;
 - (b) any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both;
 - (c) incidental expenses, including commission and packing, charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of, or before delivery of goods or supply of services;
 - (d) interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply; and
 - **(e)** subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the Central Government and State Governments.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy.

- (3) The value of the supply shall not include any discount which is given
 - (a) before or at the time of the supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply; and
 - **(b)** after the supply has been effected, if
 - such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices; and
 - (ii) input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply.
- (4) Where the value of the supply of goods or services or both cannot be determined under sub-section (1), the same shall be determined in such manner as may be prescribed.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (4), the value of such supplies as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be determined in such manner as may be prescribed.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Explanation – For the purposes of this Act, –

- (a) persons shall be deemed to be "related persons" if
 - (i) such persons are officers or directors of one another's businesses;
 - (ii) such persons are legally recognised partners in business;
 - (iii) such persons are employer and employee;
 - (iv) any person directly or indirectly owns, controls or holds twentyfive per cent or more of the outstanding voting stock or shares of both of them;
 - (v) one of them directly or indirectly controls the other;
 - **(vi)** both of them are directly or indirectly controlled by a third person;
 - (vii) together they directly or indirectly control a third person; or
 - (viii) they are members of the same family;
- (b) the term "person" also includes legal persons;
- **(c)** persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described, of the other, shall be deemed to be related.

धारा 15 : कराधेय पूर्ति का मूल्य

- (1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।
- (2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-
 - (क) इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनिमय तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्गृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक रूप से प्रभारित किया गया है;
 - (ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसी पूर्ति के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किन्तु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है:
 - (ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैकिंग भी है और माल या सेवाओं की पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम;
 - (घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति; और
 - (ड.) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायिकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिक प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलत किया जाएगा।

- (3) पूर्ति के मूल्य में ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो-
 - (क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसी पूर्ति के संबंध में जारी बीजक में सम्यक रूप से अभिलिखित किया गया है; और
 - (ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात दी जाती है, यदि—
 - (i) ऐसी छूट ऐसी पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और
 - (ii) इनपुट कर प्रत्यय, जो पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेजों के आधार पर छूट के कारण प्राप्त हुआ है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।
- (4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग—ा

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्तियों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) ऐसे व्यक्तियों को "संबंधित व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि,-
 - (i) ऐसे व्यक्ति एक-दूसरे के कारबारों के अधिकारी या निदेशक है;
 - (ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भागीदार है;
 - (iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी है;
 - (iv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व या नियंत्रण है या वह उन्हें धारण करता है;
 - (v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है;
 - (vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है;
 - (vii) वे साथ—साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं; या
 - (viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं;
- (ख) ''व्यक्ति'' पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी है;
- (ग) कोई व्यक्ति, जो एक—दूसरे के कारबार से सहबद्ध है, जिनमें से एक, अन्य व्यक्ति का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी रूप में वर्णित हो. है. संबंधित व्यक्ति समझा जाएगा।

उपयुक्त नियम: नियम 27, 28, 29, 30, 31, 31क, 32, 32क, 33, 34 एवं 35

www.cggst.com